इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 17 | अंक संख्या 1 | अगस्त, 2024 | पृष्ठों की संख्या - 08

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....4
विनियामक के कथन.....4
नयी नियुक्तियाँ.....5
विदेशी मुद्रा.....5
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....6
संस्थान समाचार.....6
नयी पहलकदमी.....7
बाजार की खबरें.....7

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति: मुख्य बातें (6-8 अगस्त, 2024)

6-8 अगस्त, 2024 तक हुई भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से मुख्य बातें निम्नवत हैं:

- रेपो दर बिना बदले 6.5% बनाए रखी गई है, स्थायी जमा सुविधा दर 6.25, सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 6.75 प्रतिशत बनी रहेगी।
- मौद्रिक नीति समिति ने निर्णय लिया कि इसका ध्यान राहतों को वापस लेने पर बना रहेगा।
- 2024-25 हेतु वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दूसरी तिमाही के लिए 7.2 प्रतिशत; तीसरी तिमाही के लिए 7.3 प्रतिशत; और चौथी तिमाही के लिए 7.2 प्रतिशत होने का पूर्वानुमान है। 2025-26 की प्रथम तिमाही हेतु वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.2 प्रतिशत पूर्वानुमानित है।

विकास तथा विनियामक नीतियों पर वक्तव्य: मुख्य बातें

- ऋण सूचना कंपनियों को ऋण सूचना रिपोर्ट करने की आवर्तिता प्रति माह से बढ़ा कर प्रति पखवारा या ऐसी लघुतर अवधि कर दी गई है जिस पर ऋण संस्थान व ऋण सूचना कंपनी के बीच सहमति हुई हो।
- यूपीआई के जरिए कर भुगतान हेतु सीमा प्रति संव्यवहार ₹ 1 लाख से बढ़कर ₹ 10 लाख हो गई है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूपीआई में प्रत्यायोजित भुगतानों की शुरुआत की है। प्रत्यायोजित भुगतानों में एक व्यक्ति (प्राथमिक उपयोगकर्ता), अन्य व्यक्ति (द्वितीयक उपयोगकर्ता) के लिए प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते पर यूपीआई संव्यवहार सीमा नियत कर सकेगा।
- चेक ट्रंकेशन प्रणाली में, बैच प्रासेसिंग की वर्तमान पद्धति बदल कर साथ सतत समाधान हो गई है जिसमें 'ऑन- रियलाइजेशन-सेटलमेंट हुआ करेगा।
- विनियामक संस्थाओं द्वारा डिजिटल कर्ज एप की सार्वजनिक रिपॉजिटरी लागू की जाएगी।

केंद्रीय बजट 2024-25: मुख्य बातें

- मुद्रा ऋणों हेतु 'तरुण श्रेणी' के तहत ₹ 10 लाख की मौजूदा सीमा को बढ़ा कर ₹ 20 लाख कर दिया गया है। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना प्रस्तावित है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएँ खोली जाएंगी।
- 1 करोड़ शहरी गरीबों तथा मध्यवर्गीय परिवारों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
- विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर 40% से घटा कर 35% की जाएगी। वित्तीय आस्तियों पर अल्पावधि पूंजीगत लाभ पर 20% कर लगेगा। सभी वित्तीय एवं गैर-वित्तीय आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर 12.5% कर लगेगा। संपति के मालिकों को संपति पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) हेतु दो विकल्पों में से एक को चुनना होगा- इंडेक्सेशन सहित 20% एलटीसीजी कर या इंडेक्सेशन के बगैर 12.5% एलटीसीजी कर ।
- वित्तीय आस्तियों पर पूंजीगत लाभ में छूट की सीमा बढ़ा कर 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है।
- वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु मानक कटौती 50,000 रुपए से बढ़ा कर 75,000 रुपए कर दी गई है। पारिवारिक पेंशन में यह कटौती 15,000 रुपए से बढ़ा कर 25,000 रुपए होगी।
- जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण हेतु पूंजी की उपलब्धता में वृद्धि की जाएगी।
- ऊर्जा ट्रांजिशन में सहायता हेतु सौर बैटरियों व पैनलों के विनिर्माण हेतु और अधिक पूंजीगत वस्तुओं को छूट दी जानी है।

लघु मूल्य ऋण अनुपात अपेक्षा पूरी करने हेतु शहरी सहकारी बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतिम तिथि बढ़ा दी है

पूर्ववर्ती शर्त के अनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2024 तक उनके कुल ऋणों तथा अग्रिमों का न्यूनतम 50%, प्रति ऋणी

1 करोड़ रुपए के अधीन, लघु मूल्य ऋणों का होना था। लघु मूल्य ऋण अधिकतम 25 लाख रुपए या शहरी सरकारी बैंकों की टियर 1 पूंजी के 0.2% के ऋण, इनमें से जो अधिक हो, होते हैं। तथापि, चूंकि शहरी सहकारी बैंकों को इस अंतिम तिथि का पालन करने में कुछ कठिनाई हो रही थी, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन्हें समय विस्तार दिया है जिसके अनुसार उनके सकल ऋण एवं अग्रिम, 31 मार्च, 2025 तक लघु मूल्य ऋणों का 40%, तथा 31 मार्च, 2026 तक 50% होने चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हेतु एफएआर नवीन 14 वर्ष व 30 वर्ष बांड कर दी है

समीक्षा के बाद तथा सरकार से परामर्श कर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों हेतु पूर्ण सुलभ मार्ग लागू कर 14 वर्ष व 30 वर्ष की अवधि के नवीन जारी भारत सरकार बांड कर दिया है। 14 वर्ष व 30 वर्ष की अवधियों के सरकारी प्रतिभूतियों का मौजूदा स्टाक जो पूर्ण सुलभ मार्ग के तहत 'निर्दिष्ट प्रतिभूतियों' में पहले से शामिल है, द्वितीयक बाजार में अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु पूर्ण सुलभ मार्ग के अंतर्गत उपलब्ध बना रहेगा।

कारोबार सुगमता हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिकृत डीलरों द्वारा विप्रेषण की राशि को सीमा मुक्त कर दिया है

कारोबार सुगमता में सुधार लाने हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी अधिकृत डीलरों (एडी श्रेणी – I बैंक व एडी श्रेणी –II निकाय) को अनुमति दी है कि जब और जैसे आवश्यक हो, फॉर्म ए2 एवं अन्य संबंधित दस्तावेज़ ऑनलाइन/ भौतिक रूप में प्रस्तुत करने पर विप्रेषण करने दें जो फेमा 1999 की धारा 10(5) में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा। तदनुसार, 'ऑनलाइन' फॉर्म ए2 के आधार पर विप्रेषित की जाने वाली राशि पर कोई सीमा नहीं होगी। अधिकृत डीलरों को, अपने बोर्ड की अनुमति लेकर, वर्तमान सांविधिक व विनियामक ढांचे के दायरे में समुचित दिशानिर्देश बनाने होंगे। तथापि, उन्हें समय समय पर यथा अद्यतन किए गए फेमा 1999 एवं अपने ग्राहक को जानें निदेश, 2016 के संगत प्रावधानों का सदैव पालन करना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों द्वारा वित्तपोषण मानकों की समीक्षा कर इन्हें टियर-I पूंजी से संबद्ध कर दिया है

एक्सपोजर मानकों पर मास्टर परिपत्र तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक, के अनुसार,भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि शेयरों तथा डिबेंचरों की जमानत पर शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सभी ऋणों का योग, उनके स्वामित्व की निधियों के 20% की समग्र सीमा में होना चाहिए। तथापि, समीक्षा के बाद यह सीमा पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की यथा 31 मार्च बैंक की टियर-I पूंजी से संबद्ध होगी।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों हेतु पर्यवेक्षी कार्यवाही ढांचे को त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचे से प्रतिस्थापित कर दिया है

उपयुक्त समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप कर सकने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों हेतु एक पर्यवेक्षी कार्यवाही ढांचा जारी किया है। 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी इस त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचे का उद्देश्य समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप कर पाना है तथा इसमें शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे समयानुसार कदम उठा कर उपचारात्मक उपाय शुरू व लागू कर अपनी वित्तीय हालत को फिर से स्वस्थ बनाएँ। त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचा समस्त समावेशी निदेशों के अधीन आने वाले शहरी सहकारी बैंकों को छोड़, टियर 2, टियर 3 व टियर 4 श्रेणी वाले सभी सहकारी बैंकों पर लागू होगा।

यद्यपि टियर 1 के सहकारी बैंक अभी त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचे के तहत नहीं आते, वे वर्तमान पर्यवेक्षी ढांचे के अंतर्गत ज्यादा निगरानी के अधीन होंगे। त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचे से टियर 1 के शहरी सहकारी बैंकों को छूट की यथासमय समीक्षा की जाएगी।

घरेलू धन अंतरण हेतु संशोधित ढांचा

विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा घरेलू धन अंतरण सेवाओं हेतु वर्तमान विनियामक ढांचे की गहन समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) अभिलेख आवश्यकताओं को अधिक सख्त बना कर मानकों को संशोधित कर दिया है। तदनुसार, अब प्रेषणकर्ता बैंक को नकद भुगतान हेतु हिताधिकारी के नाम व पते का अभिलेख लेकर रखना होगा। विप्रेषक द्वारा प्रत्येक संव्यवहार को एक अतिरिक्त अधिप्रमाणन द्वारा मान्य किया जाना चाहिए। प्रेषणकर्ता बैंक/व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी), विप्रेषक का पंजीकरण सत्यापित सेल फोन नंबर तथा खुद के द्वारा प्रमाणित 'आधिकारिक मान्य दस्तावेज़' (ओवीडी) के आधार पर करेगा।

निधि प्रेषक बैंक, प्रेषक के विवरणों को, आईएमपीएस/एनईएफटी संव्यवहार संदेश के भाग के रूप में शामिल करेगा। संव्यवहार संदेश में निधि अंतरण को नकदी आधारित विप्रेषण निर्दिष्ट करने हेतु पहचान मौजूद होनी चाहिए। प्रेषणकर्ता बैंक तथा बीसी आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं नकद जमा संबंधी लागू विनियमों का अनिवार्यत: पालन करें।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

इरादतन चूककर्ताओं तथा बड़े चूककर्ताओं के साथ बर्ताव पर भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर निदेश

इरादतन चूककर्ताओं पर मास्टर निदेश के अनुसार विनियमित संस्थाओं को 25 लाख रुपए और इससे अधिक बकाया राशि वाले सभी अनर्जक आस्ति खातों में 'इरादतन चूक' के पहलू की जांच करनी होगी। एक निर्दिष्टकर्ता समिति इरादतन चूक के साक्ष्य की जांच करेगी। यदि समिति को इरादतन चूक के होने का पता चलता है तो यह ऋणी/जमानतदार/प्रवर्तक/निदेशक/संस्था के मामलों के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी व प्रभारी व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। उन्हें अपना उत्तर नोटिस जारी किए जाने की तिथि के 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। इन निदेशों का प्राथमिक उद्देश्य ऋणदाताओं द्वारा किसी ऋणी को इरादतन चूककर्ता की श्रेणी में डालने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का ध्यान रख भेदभाव रहित व पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना है। निदेशों का उद्देश्य इरादतन चूककर्ताओं के विषय में क्रेडिट जानकारी के प्रसार की प्रणाली लागू करना भी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें आगे और संस्थागत वित्त न प्रदान किया जाए।

विनियमित संस्थाओं के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन का भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सुदृढ़ीकरण

विनियमित संस्थाओं नामत: (i) वाणिज्यिक बैंको (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं; (ii) सहकारी बैंकों (यूसीबी/एससीबी/सीसीबी); तथा (iii) एनबीएफसी हेतु धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन मास्टर निदेश, हाल के समय में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधित किए गए हैं। धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के समग्र अभिशासन व निगरानी में, विनियमित संस्थाओं के बोर्ड की भूमिका को मजबूत करने पर लक्षित, ये मास्टर निदेश सिद्धांत आधारित हैं तथा विनियमित संस्थाओं में आंतरिक लेखापरीक्षा व नियंत्रण का सुदृढ़ ढांचा स्थापित करने पर ज़ोर देते हैं। शीघ्र चेतावनी संकेतों तथा खातों की रेड फ्लैगिंग पर ढांचे को और भी मजबूत किया गया है ताकि धोखाधड़ियों की पहचान जल्दी हो तथा कानून लागू करने वाली संस्थाओं एवं पर्यवेक्षकों को रिपोर्ट समय पर भेजी जाए। आगे, बैंक अपने आकार, जटिलता, व्यवसाय मिश्र, जोखिम प्रोफाइल आदि को देखते हुए एक समर्पित डेटा अनलिटिक्स व एमआई इकाई स्थापित करेंगे। इस तरह की इकाई संबंधित जानकारी को एकत्र व प्रासेस करना सुगम बनाएगी ताकि संभावित धोखाधड़ी कार्यकलापों का जल्दी पता लगा कर इन्हें रोका जा सके।

विनियामक के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा समावेशी विकास की व्याख्या

फायनेंशियल एक्सप्रेस मॉडर्न बीएफएसआई समिट, मुंबई में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा कि देश की व्यापक अर्थव्यवस्था की मजबूत संरचना, अनुकूल जनसांख्यिकी तथा डिजिटलीकरण की तेज गति की पृष्ठभूमि में भारत का वित्तीय क्षेत्र नई ऊँचाइयाँ छूने को तत्पर है। वित्तीय प्रणाली स्वस्थ व आघात सह्य बनी हुई है जैसा कि बैंकों तथा एनबीएफसी के हाल के वार्षिक वित्तीय परिणामों में प्रदर्शित है। अपने वक्तव्य में श्री दास ने प्रकाश डाला कि कैसे नयी एवं उभरती तकनीकों ने नवोन्मेषी समाधानों तथा व्यक्तिपरक उत्पादों के जरिए वित्तीय सेवाओं को नया रूप दिया है। गवर्नर महोदय का मत था कि तकनीकी नवोन्मेषों,ग्राहकों की बदलती पसंद तथा व्यापार के वैकल्पिक मोंडल के उदय के चलते विगत दशक में भारत का बैंकिंग एवं वित्तीय परिदृश्य काफी बदल चुका है। एक तरफ इनसे जहां प्रतियोगिता एवं सहयोग को बढ़ावा मिला है, दूसरी तरफ इनका असर उपभोक्ता विश्वास तथा विनियामक निगरानी के लिए भी हुआ है। वित्तीय संस्थानों को उनके व्यवसाय मॉडल, आघात सह्यता एवं संधारणीयता पर इन परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन ध्यान से करने की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन वित्तीय क्षेत्र के लिए सीधी चुनौतियाँ लेकर आया है: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव

मुंबई में जे पी मॉर्गन इंडिया लीडरशिप सीरीज में बोलते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव ने जलवायु परिवर्तन के वित्तीय पहलुओं तथा इसके प्रभावों से निपटने में वित्तीय समुदाय द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री राव

ने कहा कि जलवायु में जो कुछ घटित हो रहा है तथा दो व्यापक चरों- विकास व मुद्रास्फीति जो भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए गहरी चिंता के विषय हैं, के बीच स्पष्ट संबंध हैं। चूंकि जलवायु घटनाएँ वास्तविक क्षेत्र और इस प्रकार इन क्षेत्रों को बैंक के एक्सपोजर को प्रभावित करती हैं, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों हेतु जोखिम प्रबंधन ढांचे पर इसका सीधा असर है। इस प्रकार, शीर्ष बैंक को, जलवायु जोखिम के मुद्दे को मौद्रिक नीति तथा विवेकपूर्ण नीति, दोनों के परिप्रेक्ष्य में संभालना होगा। श्री राव का विचार था कि जोखिम प्रबंधन के पारंपरिक तरीके नामत: जोखिम से बचाव, जोखिम न्यूनीकरण,जोखिम साझाकरण तथा जोखिम अंतरण, जलवायु परिवर्तन जनित वित्तीय एवं अन्य जोखिमों का मुक़ाबला करने में पूर्णत: कारगर नहीं हो सकते, क्योंकि वे अलग-अलग या आंशिक रूप से नहीं प्रकट होते बल्कि एक क्षेत्र या उद्योग को सामूहिक रूप से प्रभावित करते हैं।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री अर्णब कुमार चौधरी	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्रीमती चारुलता एस कार	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री रतन कुमार केश	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अंतरिम), बंधन बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	24 जुलाई 2024 के दिन करोड रुपए	24 जुलाई 2024 के दिन मिलियन अमरीकी डॉलर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डॉलर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	5587802	667386	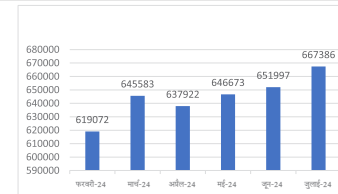
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4913727	586877	
1.2 सोना	483062	57695	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	152398	18202	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	38614	4612	*नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं*

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

यथा 31 जुलाई 2024 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें – अगस्त 2024 माह हेतु लागू

मुद्रा	दर
अमरीकी डॉलर	5.33
जीबीपी	5.2
यूरो	3.663
जापानी येन	0.077
कनाडाई डॉलर	4.5200
आस्ट्रेलियाई डॉलर	4.35
स्विस फ्रैंक	1.211299

मुद्रा	दर
न्यूजीलैंड डॉलर	5.5
स्वीडिस क्रोन	3.646
सिंगापुर डॉलर	3.6541
हांगकांग डॉलर	4.32714
म्यांमार रुपया	3.00
डैनिश क्रोन	3.2800

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

पूर्ण सुलभ मार्ग (Fully Accessible Route)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श कर 'पूर्ण सुलभ मार्ग (एफएआर)' नामक एक नया मार्ग शुरू किया है जो अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा हेतु है। पात्र निवेशक निवेश पर किसी उच्चतम सीमा के अधीन हुए बगैर निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। यह योजना दो मौजूद मार्गों नामत: मध्यावधि ढांचे (एमटीएफ) तथा स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के साथ संचालित होगी।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

सुरक्षा का मार्जिन (Margin of Safety aka MoS)

सुरक्षा का मार्जिन वास्तविक बिक्री तथा ब्रेक इवेन बिक्री के बीच का अंतर होता है। दूसरे शब्दों में, एक कंपनी द्वारा उसके ब्रेक इवेन बिंदु के ऊपर एकत्र समस्त बिक्री राजस्व सुरक्षा का मार्जिन होता है। जब यह मार्जिन अधिक हो तो इससे व्यापार में हानि का जोखिम कम होता है।

सुरक्षा का मार्जिन =वास्तविक या बजटीय बिक्री – ब्रेक इवेन हेतु आवश्यक बिक्री

सुरक्षा का मार्जिन (%) =(एमओएस/वास्तविक या बजटीय बिक्री) × 100

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अगस्त 2024 माह के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
शाखा प्रबंधकों हेतु नेतृत्व एवं सॉफ्ट स्किल विकास पर कार्यक्रम	12 से 14 अगस्त 2024	आईआईबीएफ लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर, मुंबई
बोर्स गेम सहित समेकित ट्रेजरी प्रबंधन पर कार्यक्रम	26 अगस्त से 4 सितंबर 2024	
ऋण मूल्यांकन, निगरानी एवं वसूली पर कार्यक्रम	19 से 21 अगस्त 2024	प्रौद्योगिकी पर आधारित
जेएआईआईबी/डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस हेतु संपर्क कक्षा संचालन पर कार्यक्रम	10 अगस्त से 29 सितंबर 2024	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के वित्तपोषण पर कार्यक्रम	19 से 21 अगस्त 2024	

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ केस स्टडी लेखन प्रतियोगिता-2024

आईआईबीएफ ने केस स्टडी लेखन प्रतियोगिता की घोषणा की है ताकि बैंकर/वित्तीय पेशेवर अध्यापन नोट्स के साथ केस स्टडी तैयार कर अपना ज्ञान एवं अनुभव साझा करने को प्रोत्साहित हों। बैंकर (इसमें पूर्व बैंकर शामिल हैं),बैंकों/वित्तीय संस्थानों के प्रशिक्षण संस्थानों/एनआईबीएम/आईडीबीआरटी/सीएबी/बीआईआरडी/सिडबी/नाबार्ड आदि में कार्यरत संकाय इसमें भाग लेने हेतु पात्र हैं। केस, भारतीय बैंकिंग से जुड़े किसी विषय पर होना चाहिए। केस स्टडी तैयार करने हेतु दिशानिर्देश एवं सांकेतिक विषयों की सूची ब्राशर में वर्णित हैं। कुल मिलाकर तीन सर्वोत्तम केस स्टडी को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। केस स्टडी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.08.2024 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

आईआईबीएफ और इग्नू- जेएआईआईबी/सीएआईआईबी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए क्रेडिट अंतरण योजना हेतु समझौता

2023 के संशोधित पाठ्यक्रम के तहत जेएआईआईबी/सीएआईआईबी योग्यता हासिल करने वाले आईआईबीएफ के सदस्यों को एमबीए (बैंकिंग व वित्त) में प्रवेश देने के लिए आईआईबीएफ और इग्नू ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एमबीए (बैंकिंग व वित्त) की अधिकतम अवधि के भीतर, आईआईबीएफ से जेएआईआईबी/सीएआईआईबी के संगत विषयों

में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इग्नू एमबीए (बैंकिंग व वित्त) के 28 कोर्सों में अधिकतम 5 कोर्सों तक की छूट/20 क्रेडिट का ट्रांसफर देगा। अधिक विवरण www.iibf.org.in पर उपलब्ध है।

प्रमाणित वित्तीय आयोजक प्रमाणन कार्यक्रम हेतु आईआईबीएफ का एफपीएसबी के साथ समझौता

संस्थान ने वित्तीय आयोजना पेशे हेतु वैश्विक मानक निर्धारक निकाय की भारतीय अनुषंगी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित वित्तीय आयोजक (सीएफपी) प्रमाणन कार्यक्रम की स्वामी एफपीएसबी इंडिया के साथ कार्यनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस महत्वपूर्ण भागीदारी के तहत, आईआईबीएफ से सीएआईआईबी योग्यता पूरी कर चुके तथा बीएसएफआई क्षेत्र में तीन वर्षों का मान्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीएफपी प्रमाणन के प्रथम तीन मॉड्यूल उत्तीर्ण करने से छूट होगी तथा वे फास्ट ट्रैक राह से एफपीएसबी इंडिया के समन्वित वित्तीय आयोजना मॉड्यूल में सीधे नामांकन करा सकेंगे। अधिक जानकारी iibf.org.in पर मौजूद है ।

जलवायु जोखिम तथा संधारणीय वित्तपोषण पर आईआईबीएफ व आईएफसी का संयुक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

संस्थान ने जलवायु जोखिम तथा संधारणीय वित्तपोषण पर प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन के साथ करार किया है। पाठ्यक्रम दो भागों में बंटा है-प्रारंभिक तथा उन्नत। इसका स्वरूप खुद की गति से पूरा किए जाने वाली ई–लर्निंग का है जिसमें प्रत्येक भाग में 60 घंटे की लर्निंग और इसके बाद मूल्यांकन है। सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर आईआईबीएफ व आईएफसी द्वारा संयुक्त प्रमाणपत्र दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी iibf.org.in पर मिलेगी ।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय ''अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व बैंकिंग में उभरती प्रवृत्तियाँ" रखा गया है।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण सूचनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान की प्रथा रही है कि विनियामक (कों) द्वारा जारी हाल के परिवर्तनों/दिशानिर्देशों संबंधी प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से वास्तविक परीक्षा तिथियों तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान हेतु, यह निर्णय लिया गया है कि:

1) संस्थान द्वारा मार्च 2024 से अगस्त 2024 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य से केवल 31 दिसंबर 2023 तक विनियामक(कों) द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग व वित्त की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल की जाएंगी। 2) संस्थान द्वारा सितंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य से केवल 30 जून 2024 तक विनियामक(कों) द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग व वित्त की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल की जाएंगी।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

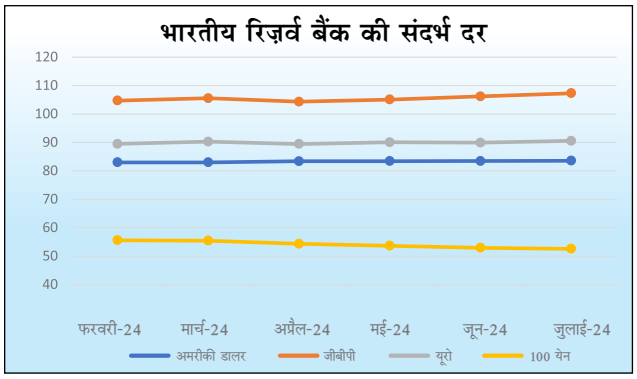

स्रोत: एफबीआईएल

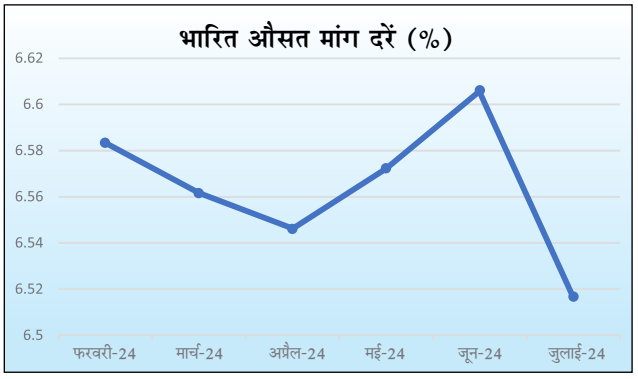

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

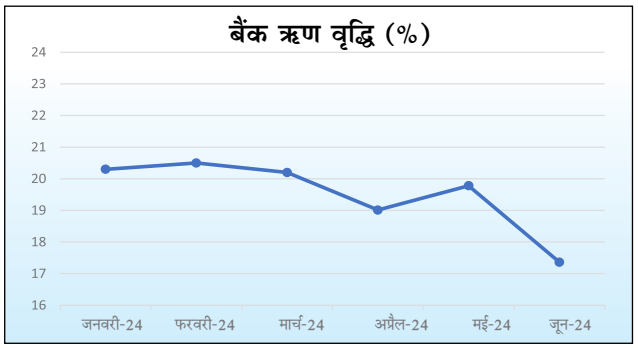

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

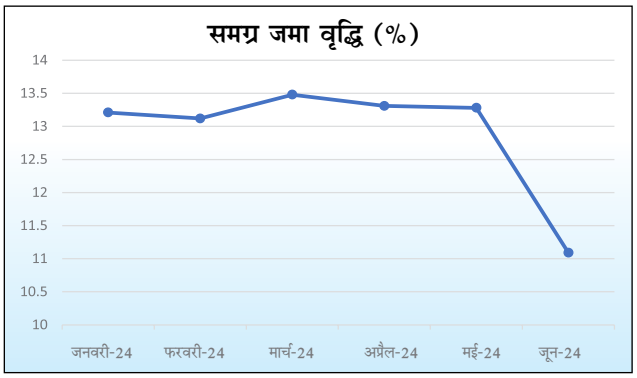

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई, 2024

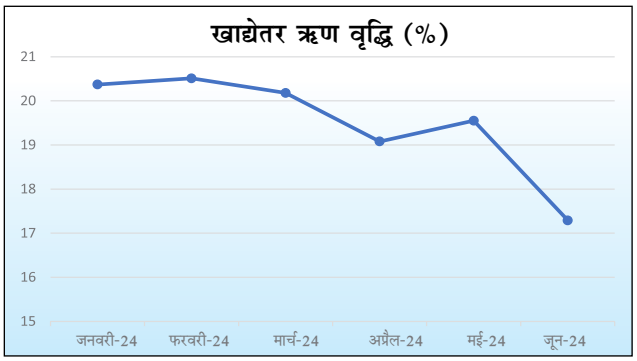

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई 24

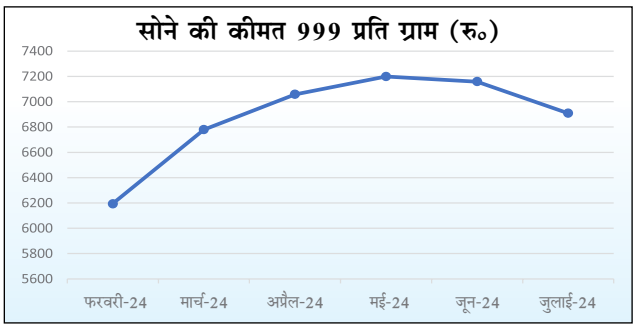

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

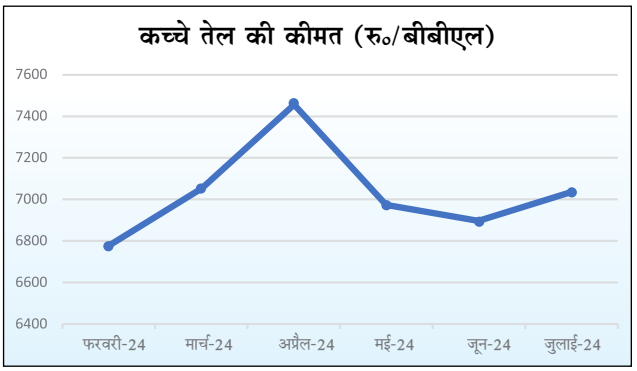

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

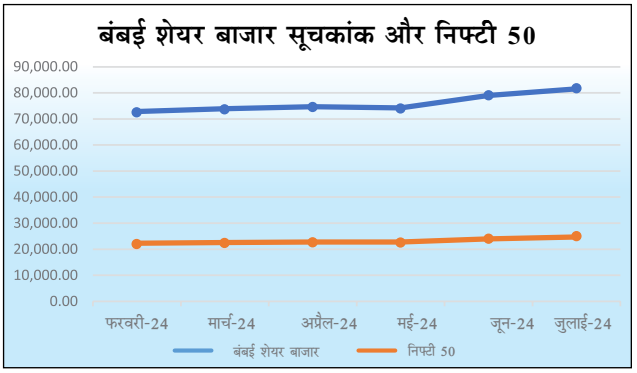

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in